राजस्थान–सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः आई.डी.एस.पी. / कोरोना / 2020 / 921 दिनांकः 30/07/20

समस्त, मुख्य चिकित्सा एवं स्वा0 अधिकारी,
राजस्थान

विषयः–चिकित्सालयों के कोविड–19 वार्ड व आईसीयू में रोगी को मोबाईल फोन की रखने की अनुमति बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत जिले के विभिन्न चिकित्सालयों के कोविड–19 वार्ड व आईसीयू में भर्ती किये जाने वाले रोगियों को स्मार्ट फोन, टेबलेट आदि रखने की अनुमति दिया जाना सुनिश्चित करें, ताकि रोगी अपने परिवारजनों व मित्रों के साथ वी.सी. के माध्यम से संपर्क कर सकें। रोगियों द्वारा उपयोग किये जाने वाले स्मार्ट फोन, टेबलेट आदि के विसंक्रमण व उपयोग हेतु समयसीमा का निर्धारिण चिकित्सालय के प्रभारी द्वारा किया जायेगा।

सभी राजकीय डेडीकेटेड कोविड हॉस्पिटलों में सीसीटी कैमरे लगाये जाना भी सुनिश्चित करें, ताकि प्रशासनिक टीम व मेडिकल टीम द्वारा किये जा रहे कार्य व रोगियों की मॉनिटरिंग की जा सकें।

निदेशक (जन स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान, जयपुर 30/07/20

क्रमांक कोरोना / 2020 / 921
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ट सचिव, माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान।
3. निजी सहायक, विशिष्ट शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें एवं मिशन निदेशक एन. एच.एम. मुख्यालय।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग राजस्थान।
5. समस्त जिला कलेक्टर, राज.।
6. अतिरिक्त निदेशक (ग्रा.स्वा.), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राजस्थान, जयपुर।
7. समस्त प्रधनाचार्य एवं नियत्रक, समस्त राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं संलग्न चिकित्सालय, राजस्थान।
8. राज्य नोडल अधिकारी (आईडीएसपी), मुख्यालय।
9. समस्त संयुक्त निदेशक, जोन राजस्थान, जयपुर।
10. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
11. प्रभारी–सर्वर रूम को वास्ते ईमेल।
12. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान, जयपुर

E:\IDD CELL\letter.docx